संoसंo–9/आo–1–15/2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

<u>संकल्प</u>

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि **डा0 विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन प्राध्यापक, नेफ्रोलोजी, पटना चिकित्सा महाविधालय अस्पताल, पटना सम्प्रति प्राध्यापक नेफ्रोलोजी, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर** अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार, अवज्ञा एवं सरकार के आदेश के उल्लघंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:–

उक्त **डा0 सिंह** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा0 सिंह, असैनिक सहाय क शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है । विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए **श्री सुरेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0, पटना द्वारा मनोनित उपस्थापन पदाधिकारी** होंगे ।

डा0 सिंह, को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ हीं निर्गत किया जा रहा है ।

<u>आदेशः</u> आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, **श्री सुरेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0, पटना द्वारा मनोनित उपस्थापन पदाधिकारी** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 728(9) /स्वा0, पटना, दिनांक : 17/8/2015

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **डा0 विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन प्राध्यापक, नेफ्रोलोजी, पटना चिकित्सा महाविधालय अस्पताल, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

E/Sankalp folder 2013/Sankalp 2013